

FORM NO. |||

फर्द अहकाम
नियम (26)

अज अदालत

धन्नालाल

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किस्म मु०

बनाम

सन्नाल

मिसल न०

30/10/25

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मग इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुक्म
की तामील में
जारी हुए

15/10/25

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमें प्रार्थी धन्नालाल पुत्र बिरधा निवासी ककरावदा ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का धन्नालाल पुत्र बिरधीलाल नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नंबर 104 में काशतगार का नाम धन्नालाल पुत्र बिरधीलाल दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का नाम धन्नालाल पुत्र बिरधा के स्थान पर धन्नालाल पुत्र बिरधीलाल नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक 15/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

